| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 6108 / 2006 / जालोर**<br>**मोडसिंह बनाम अमृतकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**
**श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य**

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुनील पारीक, सरकारी पेरोकार

दिनांक : 23–07–2025

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलक्टर, रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 04 / 2003 में पारित आदेश दिनांक 25–07–2006 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी का बहस में कथन है कि वादी / प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा एक वाद धारा 88 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय के तहत सहायक कलक्टर, रानीवाडा के न्यायालय में अप्रार्थी सं.3 के विरूद्ध पेश किया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की गई। वादीगण ने अपनी साक्ष्य से वादी स्वयं मोडसिंह, मूलसिंह, मर्दा उर्फ भरता, फतेहसिंह, राजेन्द्रकुमार के बयान कलमबद्ध करवाये तथा वाद की पत्रावली वादी के अन्य गवाह के साक्ष्य हेतु नियत की गई। दौराने वाद वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 निमय 17 सीपीसी के तहत पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–08–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए पत्रावली पुनः वादीगण की साक्ष्य हेतु नियत की गई। वादीगण किसी कारण वश अपनी शहादत / साक्ष्य दिनांक 08–12–2005 को नहीं करवा पाया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08–12–2005 द्वारा वादीगण की साक्ष्य बन्द कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 6108 / 2006 / जालोर**<br>**मोडसिंह बनाम अमृतकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

समक्ष वादीगण ने दिनांक 06–01–2006 को शहादत पुनः खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो आदेश दिनांक 25–07–2006 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय में दिनांक 08–12–2005 को अपनी शहादत हेतु उपस्थित थे। परन्तु पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्य में न्यायालय में समय से पूर्व ही प्रस्थान कर चुके थे तथा रीडर महोदय भी अवकाश पर होने से उक्त प्रकरण की आईन्दा तारीख पेशी रीडर कार्यालय में लेने बाबत् मौखिक आदेश दिया था। जिससे उस समय उपस्थित कर्मचारी द्वारा दिनांक 13–12–2005 की पेशी प्रार्थी के अभिभाषक की डायरी में नोट करवा दी। वादी / प्रार्थी दिनांक 13–12–2005 को न्यायालय में पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 08–12–2005 को ही नियत किया जाकर प्रार्थी / वादी की शहादत बन्द की जा चुकी है तथा प्रार्थी ने दिनांक 06–01–2006 को प्रार्थना पत्र पेश कर शहादत पुनः खुलवाने का निवेदन किया तथा साथ ही अपना शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी द्वारा न तो जवाब पेश किया न ही काउण्टर शपथ पत्र किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी की शहादत पेश करने का पुनः अवसर प्रदान करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। प्रार्थी ने अपनी ओर से अपनी शहादत पेश करने में कोई लापरवाही नहीं बरती है तथा न ही प्रार्थी के पूर्व आचरण ऐसा रहा है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की शहादत को बन्द कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–12–2005 एवं दिनांक 25–07–2006 को निरस्त कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शहादत पेश करने का पुनः अवसर दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 25–07–2006 को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

बहस मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 25–07–2006 द्वारा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टीए / 6108 / 2006 / जालोर**<br>**मोडसिंह बनाम अमृतकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रार्थी की शहादत पुनः खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय में दिनांक 08–12–2005 को अपनी शहादत हेतु उपस्थित थे। परन्तु पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्य में न्यायालय में समय से पूर्व ही प्रस्थान कर चुके थे। प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। चूंकि वाद मे पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का निस्तारण होना है। यदि प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जाता है तो उसके हितों पर कुठाराघात होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कथनों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में 2000/–(दो हजार) रूपए की कोस्ट पर प्रार्थी को साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान करना उचित समझते हैं।

अतः यह निगरानी 2000/–(दो हजार) रूपए की कोस्ट पर स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 25–07–2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी की शहादत पुनः खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा कोस्ट की राशि अधीनस्थ न्यायालय में वादी को अदा की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य